छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　प्रकरण क्रमांक –**SM-OCA-2026-03695**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''ग्रेस बाई गणपति '', प्रमोटर–मध्यानी बिल्डर्स, द्वारा– श्री देवेन्द्र मध्यानी, पता–वैगन आर–54, गणपति विहार, बोरसी, जिला–दुर्ग (छ.ग.)
प्रोजेक्ट–''ग्रेस बाई गणपति'' पता–जुनवानी, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
23/07/2026	– प्रकरण प्रस्तुत। – रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा द्वारा प्रतिवेदन दिनाँक 08.05.2026 के अनुसार यह पाया गया है कि भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा–5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट ''ग्रेस बाई गणपति'' पंजीयन क्रमांक–**PCGRERA20082001136** के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनाँक 20.08.2020 से पंजीकृत कराया गया है। उक्त प्रोजेक्ट की रेरा पंजीयन की वैधता दिनाँक 20.03.2024 को समाप्त हो चुकी है। प्रमोटर द्वारा प्रोजेक्ट पंजीयन के विस्तारण किये जाने हेतु दिनाँक 11.11.2025 को प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रोजेक्ट पंजीयन विस्तारण आवेदन में प्रकरण क्रमांक–SM-EXP-2025-03080 में दिनाँक 05.01.2026 की कंडिका–02 अनुसार परिपत्र क्रमांक–130, दिनाँक 23.09.2025 के अनुसार शुल्क जमा करते हुये विस्तारण किये जाने का आदेश पारित किया गया है। प्रमोटर को परिपत्र क्रमांक–130, दिनाँक 23.09.2025 के अनुसार पंजीयन शुल्क रूपये 50,000/– जमा कराये जाने हेतु दिनाँक 11.02.2026 को पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु प्रमोटर द्वारा आज दिनाँक तक पंजीयन शुल्क रूपये 50,000/– जमा नहीं किया गया है। रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा द्वारा प्राधिकरण से अनुरोध किया गया हैकि संबंधित प्रमोटर द्वारा भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–63 अनुसार प्रमोटर के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रकरण पंजीबद्ध किया जाये। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध दिनाँक 18.06.2026 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट पंजीयन के विस्तारण हेतु राशि रूपये 50,000/– आर.टी.जी.एस. के माध्यम से दिनाँक 16.07.2026 को प्राधिकरण के खाते में जमा कर दिया गया	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – प्रकरण क्रमांक –**SM-OCA-2026-03695**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''ग्रेस बाई गणपति '', प्रमोटर–मध्यानी बिल्डर्स, द्वारा–
श्री देवेन्द्र मध्यानी, पता–वैगन आर–54, गणपति विहार, बोरसी, जिला–दुर्ग (छ.ग.)
प्रोजेक्ट–''ग्रेस बाई गणपति'' पता–जुनवानी, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही / – (धनंजय देवांगन) सदस्य सही / – (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	